186

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1800–दौ/2012 विरूद्ध आदेश .दिनांक 24.05.2012 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर (लौड़ी) जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 60/अपील/2010–11

1– भागवतप्रसाद पुत्र स्व. हरीशंकर

2– अखिलेश पुत्र स्व. हरीशंकर

3– उपेन्द्र पुत्र स्व. हरीशंकर

4– जितेन्द्र पुत्र स्व. हरीशंकर

समस्त निवासीगण वार्ड नं. 11 मझपटिया मोहल्ला

लवकुश नगर (लौड़ी) तह. लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– चन्द्रकिशोर पुत्र गजाधर उर्फ बोरेलाल

निवासी मझपटिया मोहल्ला (राधाकोट)

लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर

2– मुस. विमलेश पुत्री स्व. हरिशंकर गंगेले पत्नी रामकिशोर दीक्षित

निवासी पुरानी बाजार के पास लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर

जिला छतरपुर (म.प्र.)

3– मुस. प्रेमिला पुत्री स्व. हरिशंकर पत्नी श्यामसुंदर

निवासी ग्राम अर्जुनाह तहसील अतर्रा जिला बांदा (उ.प्र.)

4– मुस. अर्चना पुत्री हरीशंकर पत्नी दिलीप उपाध्याय
निवासी बाबू स्टेडियम के सामने, छतरपुर तहसील
व जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक आवेदकगण
पूर्व से एकपक्षीय अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 18–10–2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर (लौड़ी) जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 60/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 24.5.2012 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत देवपुर के प्रस्ताव कं. 13 पंजी कं. 6 वर्ष 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 18.4.2008 के विरूद्ध अनावेदक कं. 1 चन्द्रकिशोर ने अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर (लौड़ी) के समक्ष दिनांक 03.11.2010 को अपील प्रस्तुत की। अपील के साथ विलंब माफी के लिये अवधि विधान की धारा–5 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण की ओर से अवधि बाहाय होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति पर अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 24.5.2012 द्वारा विलंब माफ किया जाकर अपीलार्थी चन्द्रकिशोर द्वारा प्रस्तुत अपील जानकारी दिनांक से अंदर अवधि मान्य की जाती है तथा प्रकरण गुण दोषों पर तर्क हेतु

नियत किया जाता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की आपत्ति आवेदन पत्र पर कोई निश्कर्ष दिये बिना अस्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को रजिस्टर्ड सूचना दी गई। सूचना उपंरात कोई उपस्थित नहीं उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4– आवेदकगण अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि गजाधर गंगेले पुत्र गनेश के नाम दर्ज थी। गजाधर के मृत होने पर आवेदकगण के पिता हरीशंकर को बाद भूम आपसी बंटवारा में पिता गजाधर से प्राप्त हुई तहसील न्यायालय के प्र.कं. 12/अ–6/04–05 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2005 से गजाधर के स्थान पर हरीशंकर का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था जिसके पालन में राजस्व अभिलेख में हरीशंकर का नाम दर्ज हो गया । जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2008 से की गई उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक चन्द्रकिशोर ने इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्र.कं. 94–तीन/09 प्रस्तुत की थी जो इसी प्रकरण के साथ निराकृत की जाकर निरस्त की गई। इस प्रकार हरीशंकर बाद भूमि ख.नं. 68, 69, 70, 71, 75, 76/1, 80 कुल किता 7 कुल रकवा 3.506 है. तथा ख.नं. 79, 170 किता 2 रकवा 4.030 है0 भूमियों के अभिलिखित भूमिस्वामी थे हरीशंकर की मृत्यु होने पर हरीशंकर के स्थान पर बारिशान नामांतरण आवेदकगण के पक्ष में किया

गया उक्त वारिशान नामांतरण की जानकारी अनावेदक चन्द्रकिशोर को प्रारंभ से ही थी वारिशन नामांतरण के विरूद्ध अनावेदक चन्द्रकिशोर को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था जब तक कि चन्द्रकिशोर सिविल न्यायालय से अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं करा लेता। चन्द्रकिशोर ने उक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 2 वर्ष 6 माह पश्चात अवधि बाह्य अपील पेश की थी दिन प्रतिदिन का कोई कारण नहीं बताया विचारण न्यायालय के आदेश के आदेश की जानकारी कैसे हुई धारा –5 आवेदन में इस बावत स्पष्ट कोई लेख नहीं है विलंब को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है जब प्रत्येक दिन का समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाये। अनावेदक चन्द्रकिशोर वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेख में अभिलिखित भूमिस्वामी व काबिजदार नहीं है न ही संयुक्त खातेदार के रूप में नामदर्ज है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य होने से प्रचलन योग्य नहीं है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर (लौड़ी) का आदेश दिनांक 24.05.2012 तथा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर (लौड़ी) के समक्ष लंबित अपील प्र.कं. 60/अपील/2010–11 समयावधि बाह्य होने से प्रचलन योग्य नहीं होने निरस्त/समाप्त की जाती है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर